

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 336/2025

अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

खेमाराम बनाम बालाराम व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री रामजीवन विश्नोई

विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

—: निर्णय :-

दिनांक – 26.05.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे. तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा आदर्श धारासर में खसरा संख्या 690/606, 692/606 रकबा कमश: 12.4967, 12.4967 हैक्टेयर व मौजा साईयों की बस्ती में खसरा संख्या 520/31, 519/31, 522/485, 523/485, 521/485 रकबा कमश: 7.1872, 3.5936, 4.6701, 4.6782, 4.6701 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजि. डाक से भेजे हुए पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा आदर्श धारासर में खसरा संख्या 690/606, 692/606 रकबा कमश: 12.4967, 12.4967 हैक्टेयर व मौजा साईयों की बस्ती में खसरा संख्या 520/31, 519/31, 522/485, 523/485, 521/485 रकबा कमश: 7.1872, 3.5936, 4.6701, 4.6782, 4.6701 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते है कि दोनो पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन